न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 141/2019

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
ओमप्रकाश पुत्र जगाराम जाति जाट निवासी ग्राम सिंधलास उप तहसील सांजू तहसील डेगाना जिला नागौर।		1राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार सांजू तहसील डेगाना जिला नागौर। 2रामचन्द्र पुत्र जगाराम जाति जाट निवासी ग्राम सिंधलास उप तहसील सांजू तहसील डेगाना।

उपस्थिति :–

1. श्री अनिल गौड अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से।
3. श्रीमती अरूणा मुण्डेल अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 31.03.21

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, सांजू द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 123/2017 सरकार बनाम रामचन्द्र व ओमप्रकाश में निर्णय दिनांक 11.07.2019 के तहत मौजा सिंधलास के खसरा नं. 131 गै.मु. रास्ता भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 18.12.2019 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 23.12.19 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं.1 की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता तथा रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से श्रीमती अरूणा मुण्डेल अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सांजू की पत्रावली सं. 123/17 सरकार बनाम रामचन्द्र व ओमप्रकाश की फोटोप्रति पेश की गई।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विधिवत रूप से तामील भी नही हुई थी, न ही विधिवत रूप से उपस्थिति सुनिश्चित हुई थी, इस कारण अपीलांट को निर्णय जैर अपील की जानकारी पूर्व मे नही हो पायी थी, अपीलांट के भाई रामचन्द्र की उपस्थिति दर्ज कर निर्णय जैर अपील पारित कर दिया गया, वास्तव मे अपीलांट व रामचन्द्र अलग अलग रहते है, इस कारण अपीलांट को निर्णय दिनांक 11.07.2019 की जानकारी पूर्व मे कभी भी नही हो सकी। अभी हाल ही मे पटवारी द्वारा जब अपीलांट को मौके पर बेदखल करने के लिये आये, तब अपीलांट को सर्वप्रथम जानकारी हुई एवं दिनांक 12.12.19 को सर्वप्रथम जानकारी होने पर दिनांक 13.12.2019 को निर्णय जैर अपील की नकल प्राप्त की एवं अविलंब अपील पेश की। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने मे हुई देरी सदभाविक, युक्तियुक्त, सम्यक व आवश्यक कारणो से हुई देरी है, जो जानकारी के अभाव मे, साक्ष्य सबूत व सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किये जाने से हुई देरी है, जो क्षमा योग्य है, जिसे क्षमा कर अपील अपीलांट जानकारी से अंदर मियाद शुमार की जाने का निवेदन किया है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–निर्णय जैर अपील खिलाफ कानून तथ्यो व परिस्थितियो के विरूद्व साक्ष्य व रेकर्ड के विरूद्व

अपर कलक्टर, नागौर

तथा मौके की स्थिति के विरूद्व होने के अतिरिक्त प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(II)–अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाइ हेतु पर्याप्त अवसर ही नही दिया एवं मात्र 42 दिनो मे ही अपीलांट का प्रकरण निस्तारित कर अधीनस्थ न्यायालय ने भारी विधिक त्रुटि कारित की है।

{2}(III)–संपूर्ण मौका रिपोर्ट तहसील कार्यालय मे बैठकर बनायी हुई प्रतीत होती है, क्योकि पटवारी द्वारा न तो मौके पर जाकर मौका निरीक्षण किया गया, न ही मौके पर जाकर विधि सम्मत मुन्तकिल पाइंट निर्धारित कर नाप चोप किया गया, इससे यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने मे निहित क्षेत्राधिकारो का गलत रूप से अवलंबन लेकर निर्णय जैर अपील पारित किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(IV)–विधि का यह सुस्पष्ट सिद्वान्त है कि जिन व्यक्तियो के विरूद्व किसी प्रकार के आदेश व कार्यवाही की जाती है, उन्हे सुनवाई के लिये नोटिस जारी किये जावे, वर्तमान प्रकरण मे अपीलांट के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय ने नोटिस तो जारी किया, मगर उनकी तामील नही की गई, महज अपीलांट की तामील को पर्याप्त मान अपीलांट के विरूद्व जो कार्यवाही की गई है, वह विधि की दृष्टि से गलत व त्रुटिपूर्ण होने से अपील के माध्यम से निरस्तनीय है।

{2}(V)–अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी द्वारा जो रिपोर्ट व मौके की नजरी नक्शा बनाकर पेश किया गया है, उसमे कही भी यह अंकन नही किया गया है कि कितने भू भाग पर अपीलांट ने अतिक्रमण किया है एवं न ही किस दिशा मे, कितने नाप पर अतिक्रमण किया है, इस बाबत मौका रिपोर्ट मे किसी प्रकार का अंकन नही किया गया है, इससे मौका रिपोर्ट अस्पष्ट है व अस्पष्ट मौका रिपोर्ट के आधार पर किसी प्रकार का विधि सम्मत आदेश पारित करना न्याय संगत नही है, अधीनस्थ न्यायालय ने इस विधिक बिन्दु को नजरअंदाज कर विधिक त्रुटि कारित की है, जिससे निर्णय जैर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(VI)–अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एक साइक्लो स्टाईल निर्णय है, यह निर्णय पूर्व मे ही टाईप किया हुआ है, इसमे मात्र खाली स्थानो की पूर्ति के लिये नाम व खसरा नं. व जुर्माने का अंकन किया गया है, इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि पूर्व मे ही बेदखली का निर्णय पारित किया गया है तथा अपनी कार्यवाहियो के टारगेट की रिकार्ड मे पूर्ति के लिये यह निर्णय जैर अपील के नाम पर खानापूर्ति की गई है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(VII)–अपीलांट को खसरा नं. 131 गै.मु. रास्ता वाके मौजा सिंधलास पर अतिक्रमण का नोटिस दिया गया था, मगर वास्तव मे अपीलांट ने रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही किया है। अपीलांट के खातेदारी का खेत खसरा नं. 118 रास्ते के दक्षिणी तरफ स्थित है एवं अपीलांट ने अपने खेत की सुरक्षा के लिये दीवार बनायी है। वह अपनी खातेदारी की भूमि पर ही बनायी है, जो खसरा नं. 118 के अंदर ही बनायी है। पटवारी द्वारा माप मे त्रुटि करने के कारण यह रिपोर्ट गलत पेश कर अपीलांट को बेदखली का आदेश पारित किया गया है। पटवारी द्वारा जो नोटिस जारी किया गया था, उसके पीछे नजरी नक्शा भी बनाया गया है। अगर पटवारी द्वारा खसरा नं. 118, 131 व रास्ते के पूर्वी तरफ जो अन्य खसरान है, उन संपूर्ण का नाप किया जाता है तो स्पष्ट रूप से प्रतीत हो जाता कि खसरा नं. 131 की भूमि किसके अतिक्रमण की गई है। इस कारण से भी निर्णय जैर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(VIII)–खसरा नं. 131 गै.मु. रास्ता है, जिस पर अपीलांट ने अतिक्रमण नही किया है, न ही रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने अतिक्रमण किया है। वर्तमान मे दीवार बनी हुई है, इसके कारण ग्राम सिंधलास के किसी व्यक्ति को भी कोई परेशानी नही है, आम रास्ता सुचारू व निर्बाध रूप से चालू है, अगर रास्ते की भूमि पर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 द्वारा अतिक्रमण किया जाता है तो आम जनता सिंधलास द्वारा इस बात की शिकायत ग्राम पंचायत मे की जाती एवं ग्राम पंचायत भी एक ऐसी संस्था है, जो ग्राम की भूमियां व रास्ते की सार्वजनिक भूमियो के संबंध मे निगरानी रखती है, इस कारण भी निर्णय जैर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा सिंधलास में स्थित गै.मु. रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में

अपर कलक्टर, नागौर

आराजी भूमि वाके सिंधलास के खसरा नंबर 131 गै.मु. रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट ओमप्रकाश व रामचन्द्र के विरूद्व अतिक्रमण का प्रकरण दर्ज कर दिनांक 07.06.19 को नोटिस जारी किया गया है। उक्त नोटिस की प्राप्ति किसके द्वारा की गई हो, ऐसा कही भी नोटिस पर अथवा उसकी पुस्त पर अंकन नही है तथा न ही तामील कुनन्दा की कोई रिपोर्ट है। रेस्पोडेन्ट रामचन्द्र अधीनस्थ न्यायालय मे अवश्य उपस्थित हुआ है। मगर अपीलांट की कोई विधिवत नोटिस की तामील हुई हो, ऐसा अभिलेख पर नही है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट को पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया गया हो, प्रकट नही होता है। अपीलांट द्वारा रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण नही होने का कथन करते हुए आराजी भूमि के चिपता ही अपीलांट की खातेदारी का खेत खसरा नं. 118 बताया गया है। आया उक्त अतिक्रमण राजकीय भूमि खसरा नं. 131 गै.मु. रास्ता पर ही हो, इस संबंध मे मौके पर नाप चोप कर अतिक्रमण की पुष्टि की जानी चाहिये थी। ऐसी स्थिति मे आदेश जैर अपील मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर आदेश जैर अपील अपास्त किया जाता है। मामला अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान को विधिवत पूर्व नोटिस देकर पर्याप्त रूप से तामील करवायी जावे तत्पश्चात मौके पर खसरा नं. 131 गै.मु. रास्ता भूमि का नाप चोप कर अतिक्रमण भूमि को चिन्हित करने के पश्चात अपीलांट को शहादत, सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए गुणावगुण पर ताजा आदेश पारित करे।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर